न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025/666**
दायरा तिथि : 28.10.2025
आदेश तिथि : 25-02-26
<u>प्रार्थी</u> :–

वेलाराम पुत्र मोडाराम जाति भील निवासी जीवदा तहसील बाली

ब ना म

<u>अप्रार्थी</u> :–

कमला पत्नी वक्ताराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने</u>

<u>आदेश</u> दिनांक: 25-02-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1463/2933 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1418 रकबा 0.4400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/588 दिनांक 23.02.2026 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से आवागमन हेतु वर्तमान में कटान मार्ग से रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदित रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता का विवरण दोनो पास–पास ही है, तथा लम्बाई का थोडा अन्तर है।
2. यह है कि आवेदित एवं प्रचलित रास्ता वैकल्पिक रास्ते से थोडा निकट है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि ग्राम बीजापुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
	1418	0.4400	नहरी सोयम	55X09=495 वर्गमीटर	कमला पत्नि वक्ताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार

नोट: अन्य विकल्प आवेदक की भूमि मौके पर आने–जाने हेतु ग्राम बीजापुर में अन्य विकल्प जो आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ते से छोटा उपलब्ध है, जो निम्नानुसार–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1464	0.4400	नहरी सोयम	57.09X09=517.50 वर्गमीटर	प्रकाश पुत्र हीरा हिस्सा 1/3 जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,10,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ... पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। वैकल्पिक रास्ता की लंबाई आवेदित रास्ते से ज्यादा

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/666

अनवान वेलाराम बनाम कमला

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

है। धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी कमला को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1463/2933 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1463/2933 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1418 रकबा 0.4400 हैक्टर में से **495 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 310000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1418	0.4400	55X09=495 वर्गमीटर	31	15345X2=30690	कमला पत्नि वक्ताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 30690/– (अक्षरे तीस हजार छः सौ नब्बे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे असल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 411–415

दिनांक : 10-3-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक वेलाराम पुत्र मोडाराम जाति भील निवासी जीवदा तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 27/12/2025 03:50:40 PM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

पटवारी हल्का : बीजापुर | ग्राम : बीजापुर

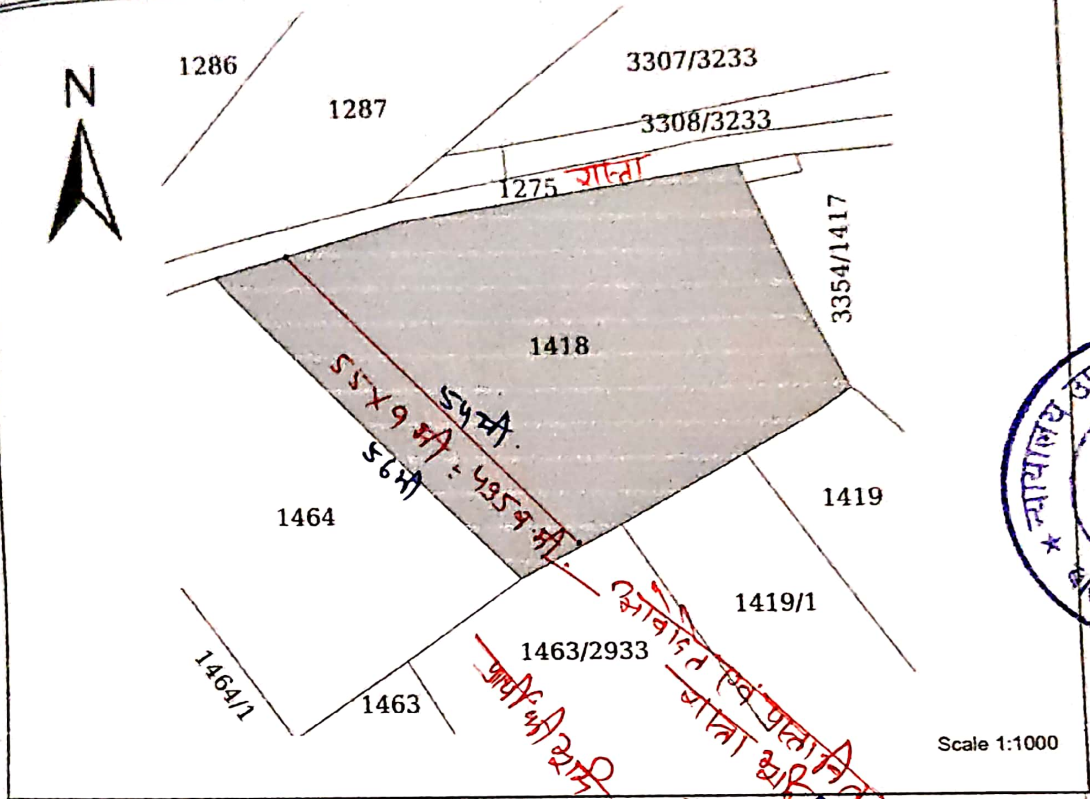

खसरा सख्या :1418 क्षेत्रफल : 0.4400 Hectare खाता सख्या : 94पुराना खाता सख्या :91

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नहरी सोयम [0.4400, 3.52]

1.) कमला पत्नि वक्ताराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

I.L.R. बीजापुर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार, बाली

नोट :- १. यह प्रमाण केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रतिलिपि में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with OKEN Scanner